न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी एल0 आर0 गुगरवाल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 12/2014 अपील

1.श्री यज्ञदत पुत्र बालकृष्ण शर्मा निवासी गंगापुर तहसील सहाडा 2.श्रीमती संतोषदेवी धर्मपत्नी बालकृष्ण शर्मा निवासी गंगापुर 3.श्रीमती चेतना पुत्री बालकृष्ण शर्मा निवासी गंगापुर तहसील सहाडा जिला भीलवाडा –अपीलार्थी	बनाम	1. श्री भरत त्रिवेदी पुत्र नाथूलाल त्रिवेदी निवासी गंगापुर 2. नगरपालिका गंगापुर जरिये अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका गंगापुर जिला भीलवाडा – प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 90–क(9) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्व आदेश प्राधिकृत अधिकारी नगरपालिका गंगापुर सं. 1070 दिनांक 12.8.2013 एवं दिनांक 26.05.2014

उपस्थित –
1. श्री आर.एन. गुप्ता अधिवक्ता – अपीलार्थीगण की ओर से
2. श्री अजय नाहर एवं महेश जोशी अधिवक्ता – प्रत्यर्थी सं. 01 की ओर से

निर्णय

दिनांक 28.04.2017

अपीलार्थी की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 90–क(9) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्व आदेश प्राधिकृत अधिकारी नगरपालिका गंगापुर सं. 1070 दिनांक 12.8.2013 एवं दिनांक 26.05.2014 की प्रस्तुत की है, जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि राजस्व ग्राम मेलोनीखेड़ा तहसील सहाड़ा में अवस्थित कृषि भूमि आराजी नं. 2829 क्षैत्रफल 0.56 हैक्ट. अवस्थित होकर उक्त भूमि अपीलार्थी के पिता व पति श्री बालकृष्ण पुत्र रामनिवास ब्राह्मण के नाम खातेदारी हक से दर्ज चली आ रही हैं। प्रत्यर्थी सं. 01 ने उक्त भूमि में से भूभाग सं. 57 साईज 1680 वर्गफीट का विक्रय करार बालकृष्ण शर्मा द्वारा उसके पक्ष में निष्पादन होना बताते हुए प्रत्यर्थी सं. (प्राधिकृत अधिकारी) के समक्ष राजस्थान नगरीय क्षैत्र (कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 के अंतर्गत भूमि रूपान्तरण का आवेदन प्रस्तुत किया और इसके पश्चात् प्राधिकृत अधिकारी ने मौका रिपोर्ट तलब कर दिनांक 12.8.2013 को प्रश्नगत आदेश जारी कर उक्त वर्णित कृषि भूमि आराजी नबंर 2829 रकबा 0.56 हैक्ट. एवं अन्य कृषि भूमि में खातेदार श्री बालकृष्ण के निहित खातेदारी अधिकार को प्रत्यवसित करते हुए उक्त आराजी में भूखण्ड साईज 1680 वर्गफीट को आवासीय प्रयोजनार्थ सम्परिवर्तन कर दिनांक 26.5.2014 को प्रत्यर्थी सं. 02 ने प्रत्यर्थी सं. 01 के नाम पर पटटा विलेख जारी किया । प्रत्यर्थी सं. 02 द्वारा जारी प्रश्नगत

आज्ञा व पटटा अकृत अवैध व शून्य प्रभावी हैं। प्राधिकृत अधिकारी ने प्रश्नगत भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों की आपत्तियां आमंत्रित करने के बाबत कोई लोक सूचना प्रसारित नहीं की हैं और ना ही ऐसी किसी लोक सूचना का प्रकाशन समाचार पत्रों में प्रत्यर्थी सं. 02 ने कराया हैं और न ही ऐसी किसी लोक सूचना की मुश्तहरी प्रत्यर्थी सं. 02 ने कराई हैं। इस प्रकार प्रश्नगत आदेश व पटटा विधि विरूद्व होकर खारिज किये जाने योग्य हैं। नियम 2012 के नियम 6 एवं नियम 7 के समादेशात्मक उपबंधों का प्रत्यर्थी सं. 02 ने अपालन कर पटटा जारी किया हैं , जबकि नियम 13(1) के तहत प्रत्यर्थी सं. 02 का दायित्व हैं कि वह सम्परिवर्तित की जाने वाली भूमि के खातेदार को विहित प्रपत्र में उक्त आशय का नोटिस जारी कर तामील करावे परन्तु उसका भी पालन नहीं किया गया हैं । यही नही नियम 6 के अनुसार तहसीलदार की रिपोर्ट भी तलब नहीं की गई और नियम 6(7) की अपेक्षा हैं कि प्राधिकृत अधिकारी प्रपत्र 10 में सम्परिवर्तित की जाने वाली भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों की आपत्ति आमंत्रित करें और ऐसा नोटिस प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उसके कार्यालय में लगाया जावेगा और राज्य स्तरीय समाचार पत्र में भी नोटिस का प्रकाशन किया जावेगा , परन्तु प्रत्यर्थी सं. 02 ने विधिक अपेक्षाओं की जानबूझकर अनदेखी कर बाहरी तथ्यों से प्रभावित होकर प्रश्नगत आज्ञा व पटटा जारी किया है जो कि कानूनन योग्य नहीं हैं। प्रत्यर्थी सं. 02 द्वारा इस मामले की पत्रावली /मिसल जो संधारित की गई है व प्रश्नगत पटटा जारी किया गया है , दोनों में भूखण्ड सं. सुभिन्न अंकित की गई हैं। प्रत्यर्थी सं. 01 ने प्रत्यर्थी सं. 02 के समक्ष आराजी नम्बर 2829 में विद्यमान भूखण्ड सं. 57 का सम्परिवर्तन कर पटटा चाहा गया और ऐसा ही आवेदन हैं । कथित विक्रय करार दिनांकित 9.4.2003 (कूटरचित व फर्जी) में भी भूखण्ड सं. 57 का उल्लेख है, जबकि प्रत्यर्थी सं. 02 ने दिनांक 26.05.2014 को भूखण्ड सं. 47 का पटटा जारी किया है । इस प्रकार अभिलेख से ही सुस्थापित है कि प्रत्यर्थी सं. 02 ने इस मामले में प्रत्यर्थी सं. 01 के साथ मिलीभगत सांठगांठ कर मनमकसूद तरीके से कार्यवाही कर प्रत्यर्थी सं. 01 द्वारा आवेदित भूखण्ड सं. 57 के बजाय भूखण्ड सं. 47 का पटटा जारी किया है , जबकि प्रत्यर्थी सं. 01 ने भूखण्ड सं. 47 का पटटा नही मांगा है। इस प्रकार सारी कार्यवाही विधि विरूद्व होकर खारिज किये जाने योग्य हैं । प्रत्यर्थी सं. 02 द्वारा दिनांक 26.5.2014 को प्रश्नगत पटटा जारी करने से पूर्व ही अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी सं. 02 के यहां दिनांक 4.12.2013 को आपत्ति प्रस्तुत कर उल्लेख किया कि आराजी नंबर 2829 अपीलार्थी के पिता के खातेदारी की भूमि हैं जिनका निधन हो गया हैं और उन्होंने अपने जीवनकाल में उक्त आराजी में से कोई भूखण्ड विक्रय नहीं किया हैं और दिनांक 09.04.2003 को कोई अनुबन्ध भी निष्पादित नहीं किया हैं। प्रत्यर्थी सं. 01 ने अपीलार्थी के पिता के नाम से फर्जी व कूटरचित दस्तावेज जो कि अपंजीकृत हैं , प्रस्तुत कर पटटा जारी कराना चाहता है और आपत्ति की हैं कि प्रत्यर्थी सं. 02 ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आपति आवेदन पर अपीलार्थी को कोई सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया और वर्तमान में भी अपीलार्थी का उक्त आपत्ति आवेदन प्रत्यर्थी सं. 02 के यहां अनिर्णित पड़ा हुआ हैं और अपीलार्थी लगातार प्रत्यर्थी सं. 02 के यहां चक्कर लगा रहा हैं और इसके बावजूद भी प्रत्यर्थी सं. 02 ने दिनांक 26.05.2014 को उक्त भूखण्ड की रजिस्ट्री प्रत्यर्थी सं. 01 के पक्ष में कराई है

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)

जो कि अपीलार्थी के मुकाबले शून्य प्रभावी हैं । प्रत्यर्थी सं. 02 का उक्त कृत्य नैसर्गिक न्याय सिद्धांत के विपरीत होकर प्रश्नगत आज्ञा व पटटा निरस्त किये जाने योग्य हैं । अपीलार्थी को दिनांक 16.6.2014 को प्रश्नगत आदेश व पटटा जारी करने की सूचना हुई एवं प्रमाणित पटटा हेतु आवेदन करने पर दिनांक 27.6.2014 को प्रमाणित प्रतियां प्राप्त हुयी । इस प्रकार दिनांक जानकारी से यह अपील प्रचलित समयावधि में प्रस्तुत की गयी हैं । इसके अतिरिक्त किसी प्रकार का विलम्ब होना पाये तो इस हेतु दफा 5 कानून मियाद अधिनियम का आवेदन साथ में प्रस्तुत है। अतः निवेदन हैं कि अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी सं. 02 द्वारा अपीलार्थी को खातेदारी व अधिपत्य की भूमि आराजी नंबर 2829 में से प्रत्यर्थी सं. 01 के पक्ष में जारी प्रश्नगत आज्ञा व पटटा दिनांक 26.5.2014 को निरस्त फरमाया जावे ।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 18.07.2014 को पंजीबद्ध की जाकर विपक्षी को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन आदेश संबंधी रिकार्ड तलब किये गये । अधीनस्थ न्यायालय से दिनांक 12.5.2015 को अपीलाधीन आदेश संबंधी रिकार्ड प्राप्त हुये । प्रत्यर्थी सं. 01 की ओर दिनांक 20.11.2014 को जवाब प्रस्तुत किया गया ।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

बहस दौरान अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपील मेमों मे वर्णित कथन को दोहराते हुए निवेदन किया कि राजस्व ग्राम मेलोनीखेड़ा तहसील सहाड़ा में अवस्थित कृषि भूमि आराजी नं. 2829 क्षेत्रफल 0.56 हैक्ट. अवस्थित होकर उक्त भूमि अपीलार्थी के पिता व पति श्री बालकृष्ण पुत्र रामनिवास ब्राह्मण के नाम खातेदारी हक से दर्ज चली आ रही हैं। प्रत्यर्थी सं. 01 ने उक्त भूमि में से भूभाग सं. 57 साईज 1680 वर्गफीट का विक्रय करार बालकृष्ण शर्मा द्वारा उसके पक्ष में निष्पादन होना बताते हुए प्रत्यर्थी सं. (प्राधिकृत अधिकारी) के समक्ष राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 के अंतर्गत भूमि रूपान्तरण का आवेदन प्रस्तुत किया और इसके पश्चात् प्राधिकृत अधिकारी ने मौका रिपोर्ट तलब कर दिनांक 12.8.2013 को प्रश्नगत आदेश जारी कर उक्त वर्णित कृषि भूमि आराजी नबंर 2829 रकबा 0.56 हैक्ट. एवं अन्य कृषि भूमि में खातेदार श्री बालकृष्ण के निहित खातेदारी अधिकार को प्रत्यवसित करते हुए उक्त आराजी में भूखण्ड साईज 1680 वर्गफीट को आवासीय प्रयोजनार्थ सम्परिवर्तन कर दिनांक 26.5. 2014 को प्रत्यर्थी सं. 02 ने प्रत्यर्थी सं. 01 के नाम पर पटटा विलेख जारी किया । प्रत्यर्थी सं. 02 द्वारा जारी प्रश्नगत आज्ञा व पटटा अकृत अवैध व शून्य प्रभावी हैं। प्राधिकृत अधिकारी ने प्रश्नगत भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों की आपत्तियां आमंत्रित करने के बाबत कोई लोक सूचना प्रसारित नहीं की हैं और ना ही ऐसी किसी लोक सूचना का प्रकाशन समाचार पत्रों में प्रत्यर्थी सं. 02 ने कराया हैं और न ही ऐसी किसी लोक सूचना की मुश्तहरी प्रत्यर्थी सं. 02 ने कराई हैं। इस प्रकार प्रश्नगत आदेश व पटटा विधि विरूद्व होकर खारिज किये जाने योग्य हैं। नियम 2012 के नियम 6 एवं नियम 7 के समादेशात्मक उपबंधों का प्रत्यर्थी सं. 02 ने अपालन कर पटटा जारी किया हैं , जबकि नियम 13(1) के तहत प्रत्यर्थी सं. 02 का दायित्व हैं कि वह सम्परिवर्तित की

अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

जाने वाली भूमि के खातेदार को विहित प्रपत्र में उक्त आशय का नोटिस जारी कर तामील करावे परन्तु उसका भी पालन नहीं किया गया हैं । यही नहीं, नियम 6 के अनुसार तहसीलदार की रिपोर्ट भी तलब नहीं की गई और नियम 6(7) की अपेक्षा हैं कि प्राधिकृत अधिकारी प्रपत्र 10 में सम्परिवर्तित की जाने वाली भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों की आपत्ति आमंत्रित करें और ऐसा नोटिस प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उसके कार्यालय में लगाया जावेगा और राज्य स्तरीय समाचार पत्र में भी नोटिस का प्रकाशन किया जावेगा , परन्तु प्रत्यर्थी सं. 02 ने विधिक अपेक्षाओं की जानबूझकर अनदेखी कर बाहरी तथ्यों से प्रभावित होकर प्रश्नगत आज्ञा व पटटा जारी किया है जो कि कानूनन योग्य नहीं हैं। प्रत्यर्थी सं. 01 ने अपीलार्थी के पिता के नाम से फर्जी व कूटरचित दस्तावेज जो कि अपंजीकृत हैं , प्रस्तुत कर पटटा जारी कराना चाहता है और आपत्ति की हैं कि प्रत्यर्थी सं. 02 ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आपति आवेदन पर अपीलार्थी को कोई सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया और वर्तमान में भी अपीलार्थी का उक्त आपत्ति आवेदन प्रत्यर्थी सं. 02 के यहां अनिर्णित पड़ा हुआ हैं और अपीलार्थी लगातार प्रत्यर्थी सं. 02 के यहां चक्कर लगा रहा हैं और इसके बावजूद भी प्रत्यर्थी सं. 02 ने दिनांक 26.05.2014 को उक्त भूखण्ड की रजिस्ट्री प्रत्यर्थी सं. 01 के पक्ष में कराई है जो कि अपीलार्थी के मुकाबले शून्य प्रभावी हैं । प्रत्यर्थी सं. 02 का उक्त कृत्य नैसर्गिक न्याय सिद्धांत के विपरीत होकर प्रश्नगत आज्ञा व पटटा निरस्त किये जाने योग्य हैं । निवेदन हैं कि अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी सं. 02 द्वारा अपीलार्थी को खातेदारी व अधिपत्य की भूमि आराजी नंबर 2829 में से प्रत्यर्थी सं. 01 के पक्ष में जारी प्रश्नगत आज्ञा व पटटा दिनांक 26.5.2014 को निरस्त फरमाया जावे ।

प्रत्यर्थी सं. 01 अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि अपीलार्थी सं. 01 व 03 के पिता व अपीलार्थी सं. 02 के पति बालकृष्ण पुत्र रामनिवास ब्राह्मण के नाम राजस्व ग्राम मेलोनी खेडा, तहसील सहाडा में स्थित कृषि भूमि आराजी नंबर 2829 क्षैत्रफल 0.56 हैक्ट. थी जिसमें बालकृष्ण द्वारा 2003 से पूर्व भूखण्ड काटकर लोगों को विक्रय किये गये तथा उसके पश्चात् नगर पालिका गंगापुर मे उक्त आराजी को राजस्थान नगरीय क्षैत्र (कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग की अनुज्ञा व आवंटन) नियम 2012 के अन्तर्गत रूपान्तरण कराने के उद्धेश्य से समर्पित कर दिया । बालकृष्ण द्वारा उक्त कृषि भूमि नगर पालिका गंगापुर को समर्पित कर दिया । बालकृष्ण द्वारा उक्त कृषि भूमि नगर पालिका गंगापुर , को समर्पित करने से राजस्व रिकार्ड में नामान्तरण सं. 2262 दिनांक 5.9.2013 से सम्पूर्ण रकबा नगर पालिका गंगापुर के नाम दर्ज हैं । इसलिए अपीलार्थीगण का यह कहना कि नियम 2012 के नियम 13 के अन्तर्गत यथा विहित प्रकिया प्रत्यर्थी सं. 02 प्राधिकृत अधिकारी ने नही अपनाई हैं, पूर्णतयाः गलत हैं क्योंकि अपीलार्थीगण के पिता व पति द्वारा स्वयं उक्त कृषि भूमि को गैर कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग हेतु समर्पित की थी । अपीलार्थीगण के पिता व पति बालकृष्ण द्वारा प्रत्यर्थी सं. 01 को दिनांक 9.4.2003 को अपनी उक्त कृषि आराजी में काटे गये भूखण्डों में से भूखण्ड सं. 57 का बिकाव कर एक विक्रय इकरार भी उसी दिन प्रत्यर्थी सं. 01 के पक्ष में श्री बालकृष्ण द्वारा निष्पादित किया गया । इस प्रकार बालकृष्ण द्वारा विक्रय इकरार दिनांक 9.4.2003 के पश्चात् क्षतिपूर्ति बन्धपत्र व शपथपत्र

प्रत्यर्थी सं. 1 के पक्ष में निष्पादित करने का आशय बालकृष्ण द्वारा प्रत्यर्थी सं. 01 को विक्रय किये गये भूखण्ड की स्वीकारोक्ति हैं । अपीलार्थी द्वारा दिनांक 4.12.2013 को प्रत्यर्थी सं. 02 के यहां एक आवेदन पटटा प्रत्यर्थी सं. .1 को जारी नहीं किये जाने बाबत् आपत्ति हेतु प्रस्तुत किया था । जिसके पश्चात् प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा प्रत्यर्थी सं. 1 को इस बाबत् सूचित किया गया और प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा प्रत्यर्थी सं. 02 के यहां बालकृष्ण द्वारा प्रत्यर्थी सं. 01 के पक्ष में निष्पादित क्षतिपूर्ति बन्धपत्र व शपथपत्र की फोटो प्रतियां पेश की गई । इस प्रकार अपीलार्थी के आपत्ति आवेदन का निराकरण करने के पश्चात् ही प्रत्यर्थी सं. 1 को उक्त पटटा जारी किया गया । प्रत्यर्थी सं. 02 द्वारा राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 के अन्तर्गत यथाःविहित प्रक्रिया का पालन कर प्रत्यर्थी सं. 01 को पटटा जारी किया गया । प्रत्यर्थी सं. 02 नगर पालिका गंगापुर द्वारा प्रत्यर्थी सं. 01 को पटटा जारी करने हेतु नियम 16(1) भूमि के आवंटन / नियमितीकरण के लिये आवेदन के तहत आवेदन लिया गया और नियम 16(1) के तहत विहित प्रक्रिया का पूर्णरूप से पालन किया गया जहां तक अपीलार्थीगण द्वारा नियम 6 व 7 के प्रत्यर्थी सं. 02 द्वारा पटटा जारी करने में पालना नहीं करने का प्रश्न है वह पूर्णतयाः गलत हैं क्योंकि जब कोई कृषि भूमि गैर कृषि प्रयोजन हेतु समर्पित की जाती हैं तो नियम 6 व 7 लागू होते हैं, लेकिन मौजूदा मामलें में बालकृष्ण द्वारा अपनी उक्त कृषि भूमि दिनांक 5.9.2013 से पूर्व ही प्रत्यर्थी सं. 02 नगर पालिका गंगापुर को गैर कृषि प्रयोजन हेतु उपयोग में लेने के लिये समर्पित की जा चुकी थी और जब प्रत्यर्थी सं. 01 को पटटा जारी किया गया तो उक्त कृषि भूमि नगर पालिका गंगापुर के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी इसलिए पूर्व से समर्पित भूमि के संबंध में नियम 6 व 7 लागू नहीं होते हैं। यह नियम कृषि भूमि स्थानीय निकाय को समर्पित किये जाने के समय ही उसमें हितबद्ध व्यक्तियों को सुने जाने का प्रावधान नियम 6 व 7 में है और उक्त नियम राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 (क) के अन्तर्गत निर्मित हैं । प्रत्यर्थी सं. 01 को प्रत्यर्थी सं. 02 द्वारा जारी किये गये पटटे में नियम 16 की पूर्ण पालना की जाकर पटटा जारी किया गया हैं । अतः प्रार्थना हैं कि अपीलार्थीगण की अपील को खारिज फरमाया जावे ।

सर्वप्रथम अपील मेमों में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिसीमा अधिनियम धारा 5 के आवेदन पर मियाद के बिन्दु पर विचार किया जा रहा है। प्रार्थी ने मियाद के समर्थन मे शपथ पत्र पेश किया है । न्यायहित में नैसर्गिक प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों को दृष्टिगत रखा जाकर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करते हुये अपील अपीलार्थी मियाद में शुमार करने के आदेश दिये जाते है।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । राजस्व ग्राम मेलोनीखेडा तहसील सहाडा में स्थित कृषि भूमि आ.नं. 2829 क्षैत्रफल 0.56 हैक्ट. बालकृष्ण पुत्र रामनिवास ब्राह्मण द्वारा उक्त कृषि भूमि को राजस्थान नगरीय क्षैत्र (कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा व आवंटन) नियम 2012 के अन्तर्गत रूपान्तरण

करने के उद्धेश्य से नगरपालिका गंगापुर को समर्पित करने पर प्राधिकृत अधिकारी (अधिशासी अधिकारी) के आदेश क्रमांक /1070 दिनांक 12.08.2013 से नगरपालिका गंगापुर की सीमा में स्थित राजस्व ग्राम मेलोनी खेडा के ख.नं. 2827/3060, 2827/3061, 3339/2828, 3342/2829, 3343/2829, 3344/2829, 3346/2829, 2847/2829, 2830, 2831, 2832 कुल किता 11 कुल रकबा 2.38 हैक्ट. आवासीय कॉलोनी, तहसील सहाडा मु. गंगापुर जिला भीलवाडा खातेदारी अधिकारी / हित राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 क की उपधारा (5) व (8) एवं सपठित धारा 91 तथा राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अधीन पर्यवसित की गई। तदुपरान्त प्राधिकृत अधिकारी (अधिशासी अधिकारी) गंगापुर द्वारा आदेश दिनांक 12.8.2016 को पारित करके राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत ग्राम मेलोनी खेडा के ख.नं. 2829 में से 1680 वर्गफीट की लीज शर्त सं. 1 से लगायत 15 अंकित करते हुये दिनांक 26.5.2014 को जारी की गयी । जिसका पंजीयन भी दिनांक 4.6.2014 को हो चुका हैं । आवासीय पटटा विलेख जारी करने से पूर्व लोक सूचना एवं व्यक्तिगत सूचना दिनांक 22.11.2012 को जारी कर दैनिक भास्कर/राजस्थान पत्रिका / प्रातःकाल में प्रकाशन करवाया गया । इसके पश्चात् राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 के नियम 13 के उपनियम (3) के अधीन राज्य सरकार में निहित हुई हैं । इस प्रकार प्रत्यर्थी सं. 02 द्वारा यथा विहित प्रक्रिया अपनाई जाकर प्रत्यर्थी सं. 01 के पक्ष में पटटा विलेख जारी किया गया हैं एवं पटटे का पंजीयन करवाया गया हैं। उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपीलार्थी की अपील स्वीकार योग्य नहीं ठहरती हैं । अतएव–

आदेश

प्राधिकृत अधिकारी नगरपालिका गंगापुर सं. 1070 दिनांक 12.8.2013 एवं दिनांक 26.5.2014 के विरूद्व अपीलार्थी द्वारा अपील अन्तर्गत धारा 90 क (2) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम प्रस्तुत की गयी । प्रत्यर्थी सं. 02 द्वारा ग्राम मेलोनीखेडा की कृषि भूमि आ.नं. 2829 के संबंध में राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 के नियम 13 के अन्तर्गत यथा विहित प्रक्रिया अपनाकर आ.नं. 1829 में से 1680 वर्गफीट भूमि की आवासीय लीज प्रत्यर्थी सं. 01 के पक्ष में दिनांक 26.5.2014 को जारी की गयी हैं । अपीलार्थी की अपील आधारहीन होने से खारिज की जाती हैं । निर्णय की प्रति मय तलविदा रिकार्ड अधीनस्थ न्यायालय अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका गंगापुर को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.04.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/04/17

(एल.आर.गुर्जरवाल)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा